

नाम	राजस्थान	राज्य	राज्य
पता	राजस्थान	राज्य	राज्य

नाम	राजस्थान	राज्य	राज्य
पता	राजस्थान	राज्य	राज्य

नाम	राजस्थान	राज्य	राज्य
पता	राजस्थान	राज्य	राज्य

**राजस्थान (राजस्थान), जोड**

:- नाम का नाम :-

राजस्थान - सरकार

8/10/21  
2021-22

जोड



# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 04

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

भालसिंह, मागीलाल पि० शंकरलाल जाति सुथार वगै० साकिन खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 22.10.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं० 1 भालसिंह, मागीलाल पि० शंकरलाल जाति सुथार साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० चारागाह के ख०न० 34 की कुल 3.502 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 हनुमान पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 35 की कुल 10.280 है० में से 1.012 है० में ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का दलपतपुरा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रु. 120 /- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अगल से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


  
तहसीलदार (राजस्व) नोहर  
जिला हनुमानगढ

22.10.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भूअभिनिरीक्षक से फर्द कुर्की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं० 1 भालसिंह, मागीलाल पि० शंकरलाल जाति सुथार साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० चारागाह के ख०न० 34 की कुल 3.502 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 हनुमान पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 35 की कुल 10.280 है० में से 1.012 है० में ग्वार फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भूराजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 1200000 से दण्डित किया जाता है। भूअभिनिरीक्षक को आदेश दिये जाते हैं कि वे कुर्क शुद्ध खडी फसल की निलामी करवाकर निलामी राशि बाद अनुमोदन खजाना राज में जमा करावे तथा अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार(राजस्व)  
नोहर

*[Faint handwritten notes and signatures in blue ink, likely from the court or the parties involved, are visible in the lower half of the page.]*

प्रारूप-क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस

संख्या 64/संवत् 2078 सरकार बनाम **धुमान पुत्र हरलाल जाहि भाट लक्ष्मी खरसोली**

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम **खरसोली के खरसोली नं-35 सी चारागाह प्रमिष्ट 110126** वा  
**की फसल काश्त की है**

संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक **24/2/** से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे वेदखल कर दिया जावे।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि संवत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुना तक शास्ति क्यों नहीं अधोरोपित की जावे।

यह ओर नोटिस दिया जावे कि आपने गत कृषि वर्ष में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नहीं आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक **15/3/21** को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई।

**हेतराम**

**का**  
(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)  
तहसीलदार (राजस्व)  
नोहर

21/10/21  
8/10/21

4/2

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : - 8/10/2021..... को श्रीमान तहसीलदार साहब

जोहर... के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री भालसिंह, पुत्र श्री शंकरलाल का  
मागीलाल  
जाति लुधियार निवासी खरसोडी की चल / अवल संपत्ति भालसिंह, मागीलाल पि.

शंकरलाल जाति लुधियार सा. खरसोडी गै.मु. चारागाह ख.न. 34  
में 0.0636 एवम्, हनुमान पुत्र हरलाल जाति जाट सा. खरसोडी  
गै.मु. चारागाह ख.न. 35 में 1.0126 एवम् भी फसल

को कुर्क कर बहक सरकार ती गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति सुर्द बुर्द न करे  
अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपत्ति श्री राजेन्द्र सिंह श्री पटवारी जाति  
निवासी ..... की सुपुर्दगी में देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति सुर्द बुर्द हो तो  
रिपोर्ट करे।

तहसीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

30m  
8/10/21

11/10/21  
9485192134  
भू030नि0 8-10-2021

मि. 9. 04/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक 980.....  
दिनांक 08/10/21 की पालना में ग्राम खरसोडी के खसरा नं. 34, 35 की ग. पु. चारागाछ  
भूमि में फसल  $\frac{1.075}{3}$  नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों ① मालखिह मागीलाल  
पि. शंकरलाल जाति लुधार सा. खरसोडी ② हनुमान  
पुत्र हरलाल जाति जाट सा. खरसोडी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु  
सार्वजनिक सूचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में  
फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित वक्तियों ने उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क्र. स.	बोलीदाता	बोली की राशी
1.	श्री प्रहलाद पुत्र श्री ज्योत्सु जाति जाट साकिन खरसोडी	1300 1600
2.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खरसोडी	1400 1615
3.	श्री निमाराय पुत्र श्री जसवन्त जाति जाट साकिन खरसोडी	1550 (1710)
4.	श्री जयकर पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट साकिन खरसोडी	1590

उपरोक्त में श्री निमाराय पुत्र श्री जसवन्त जाति जाट साकिन खरसोडी  
की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

उत्तर

ममोज कुमार



अ. नि. निमाराय

(जयकर)

30/10/2021  
राजसूय पटवारी  
प. प्र. ललासिया

र. प्र. 1/21

25/10/21

म. क. नि. जवरासर  
21/10/2021

# कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनढ

क्रमांक/राजस्व/2021/1135

दिनांक: 22.10.2021

## आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2021 में निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 भालसिंह, मागीलाल पि० शंकरलाल जाति सुथार साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० चारागाह के ख०न० 34 की कुल 3.502 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 हनुमान पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 35 की कुल 10.280 है० में से 1.012 है० में ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 12000 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

31  
तहसीलदार (राजस्व)  
नोहर

क्रमांक/राजस्व/2021/1136-18

दिनांक:- 22.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करे।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

31  
तहसीलदार (राजस्व)  
नोहर



राजस्व  
तहसीलदार की डे  
दिनांक 24/10/21

24/10/21